(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 13/2019

बउनवान

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बारॉ जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक महो., बारॉ (सायल)

बनाम

कल्लू खॉ उम्र 44 वर्ष पुत्र मदारी खॉ जाति मुसलमान निवासी माथना जिला बारॉ (गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– ए.पी.पी. (सायल)

2– स्वंय उपस्थित (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 14.10.2019

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल कल्लू खॉ पुत्र मदारी खॉ जाति मुसलमान निवासी माथना जिला बारॉ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बारॉ जिला बारॉ ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना सदर बारॉ क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति अवैध जुआ सटटा खेलने, खिलाने एवं मारपीट की अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसके विरूद्व पुलिस थाना सदर बारॉ में वर्ष 1996 से 2019 तक की अवधि में कुल 4 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ.(3) एवं आई.पी.सी. (1) के तहत दर्ज हुये है। उक्त प्रकरणों में से अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ के तहत कुल 3 प्रकरणो मे न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। इसके विरूद्व 110 सी.आर.पी.सी. के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चुकी है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियॉ बढती जा रही है। जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियो पर कोई अंकुश नही लग रहा है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने में कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियॉ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नही है। कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रिया कलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इस व्यक्ति के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले की सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता मे भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत कुल 3 प्रकरणो मे सजायाब हो चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावे। इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 29.8.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओ को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जर्ये सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। गैरसायल द्वारा प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत नही कर, गैरसायल द्वारा जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर, प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करने हेतु निवेदन किये जाने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस ए.पी.पी. सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना सदर बारॉ मे वर्ष 1996 से 2019 तक की अवधि में कुल 4 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ.(3) एवं आई.पी.सी. (1) के तहत दर्ज हुये है। उक्त प्रकरणों में से अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ के तहत कुल 3 प्रकरणो मे न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। इसके विरूद्व 110 सी.आर.पी.सी. के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चुकी है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियॉ बढती जा रही है। जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियो पर कोई अंकुश नही लग रहा है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने में कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियॉ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नही है। कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रिया कलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसो की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखो से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त है। अतः गैरसायल को जिला बदर किया जावे।

इसके विपरीत गैरसायल द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मेरे 2 पुत्रिया है जिनकी उम्र 6 वर्ष एवं 11 वर्ष है। जिनकी मॉ फोत हो चुकी है ओर उनकी देखरेख की समस्त जिम्मेदारी मेरी है। मेरे अलावा उनकी देखरेख करने वाला परिवार मे कोई व्यक्ति नही है। उनके पालन पोषण की समस्त जिम्मेदारी मेरी है। मेरे विरूद्व प्रस्तुत की गई कार्यवाही मेरी पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुये निरस्त की जावे अन्यथा जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मैं स्वंय की सहमति से उक्त प्रकरण का जिला बदर के स्थान पर थाना बदर होकर निस्तारण करवाना चाहता हूॅ। मेरे विरूद्व पुलिस थाना सदर बारॉ द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसमें जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर मुझे थाना बदर मे पुलिस थाना कोतवाली बारॉ जिला बारॉ किया जाकर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण किया जावे। जिसमे मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

हमने ए.पी.पी. प्रथम अभियोजन पक्ष सरकार एवं गैरसायल के अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखो का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र पर विचार किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना सदर बारॉ में वर्ष 1996 से 2019 तक की अवधि में कुल 4 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ.(3) एवं आई.पी.सी. (1) के तहत दर्ज हुये है। उक्त प्रकरणों में से अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ के तहत कुल 3 प्रकरणो मे न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। इसके विरूद्व 110 सी.आर.पी.सी. के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चुकी है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों अनुसार यह साबित होता है कि गैरसायल कल्लू खॉ पुत्र मदारी खॉ जाति मुसलमान निवासी माथना जिला बारॉ द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा मे आना पूर्णतया सिद्व है, क्योकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ के तहत कुल 3 प्रकरणो मे न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः गैरसायल कल्लू खॉ पुत्र मदारी खॉ जाति मुसलमान निवासी माथना जिला बारॉ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानो के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र सदर बारॉ से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल कल्लू खॉ पुत्र मदारी खॉ जाति मुसलमान निवासी माथना जिला बारॉ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना सदर बारॉ जिला बारॉ क्षेत्र से 7 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि मे अपनी उपस्थित प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारॉ जिला बारां को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नही करेगा, जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात इस अवधि में पूर्ण सचरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधी में भाग नही लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/- रूपये का स्वंय का मुचलका इस अवधि मे नेकचलन रहने के संबंध मे पेश करेगा।

गैरसालय के विरूद्व यह आदेश दिनांक 01.11.2019 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारॉ जिला बारॉ को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बारॉ जिला बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमे यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना सदर बारॉ जिला बारॉ से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारॉ जिला बारां के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.10.23 11:40:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: